न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पौड़ी गढ़वाल।
आपराधिक वाद संख्या 788 सन् 2022
पवन बनाम प्रवेन्द्र।

<u>दिनांक 13.12.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। परिवादी मय विद्वान अधिवक्ता श्री डी0एन0 शाह उपस्थित। अभियुक्त की ओर से विद्वान चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल श्री कमल प्रसाद बमराडा उपस्थित। अभियुक्त जिला कारागार देहरादून से वी0सी0 के माध्यम से उपस्थित।

2. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि पत्रावली आज बयान अभियुक्त अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 हेतु नियत है। अभियुक्त की उपस्थिति हेतु जिला कारागार देहरादून को तलबी वारण्ट प्रेषित किया गया था। जिला कारागार देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 5436/यूटी/23, दिनांकित 13 दिसम्बर 2023 के माध्यम से उपरोक्त अभियुक्त को, आज न्यायालय में, पुलिस गार्ड उपलब्ध ना होने के कारण प्रस्तुत करने मे असर्मथता व्यक्त की है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि, हस्तगत वाद में अग्रेत्तर कार्यवाही एंव बयान अभियुक्त अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 अंकित कराये जाने हेतु न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 23.11.2023 एवं 07.12.2023 को भी तलबी वारण्ट जारी किये गये थे। परन्तु अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति ना हो पाने के कारण हस्तगत वाद में अग्रिम कार्यवाही संभव नहीं हो पा रही है। अतः उक्त के संदर्भ में जेल अधीक्षक जिला कारागार देहरादून को निर्देशित किया जाता है कि वे न्यायालय द्वारा निर्गत करे जा रहे तलबी वारण्ट पर, अभियुक्त को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष अगली नियत तिथि पर उपस्थित कराया जाना सुनिश्चित करें। अभियुक्त की उपस्थिति हस्तगत वाद में अग्रत्तर कार्यवाही हेतु आवश्यक है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध पुनः तलबी वारण्ट जारी हो। इस आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक जिला कारागार देहरादून को प्रेषित की जाये। कार्यालय अनुपालन करना सुनिश्चित करे।

4. पत्रावली वास्ते बयान अभियुक्त अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 दिनांक 20.12.2023 को पेश हो।

(प्रतीक मथेला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पौड़ी गढ़वाल।